This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 12 सितम्बर, 2025 / 21 भाद्रपद, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला, 9 सितम्बर, 2025

संख्याः रैव–बी–ए0(03) / 28 / 2024.––हिमाचल प्रदेश न्यायालय मामलों की ऑनलाइन फाइलिंग और प्रक्रमण प्रारुप नियम, 2025 को अधिसूचना संख्या रैव–बी–ए0(09) / 28 / 2024, तारीख 20 मई, 2025 द्वारा

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 169 के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार, एतद्द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप(पों) आमन्त्रित करने के लिए अधिसूचित किया गया था और जिसे राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 06 जून, 2025 को प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के दौरान इस निमित कोई भी आक्षेप / सुझाव प्राप्त नहीं हुए है / हैं।

अतः वित्तायुक्त (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 168 के खण्ड (छ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:––

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.––**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में न्यायालय मामलों की ऑनलाइन फाइलिंग और प्रक्रमण नियम, 2025 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है

(3) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.––**इन नियमों में जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो,–

(1) "आवेदक" से, विचारण न्यायालय स्तर में आवेदक, अपीलीय न्यायालय में अपीलार्थी और उच्चतर न्यायालय में याची (याचिका) अभिप्रेत है;

(2) "आवेदन फीस (शुल्क)" से, आवेदक द्वारा संदेय न्यायालय फीस (शुल्क) अभिप्रेत है जिसको समय–समय पर सरकार द्वारा यथा विहित चिपकने वाले स्टाम्पों का उपयोग, यू0 पी0 आई0 या किसी ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र संदत्त किया जा सकेगा;

(3) "केस संख्या" से, प्रत्येक मामले का समनुदेशित विशिष्ट पहचान कोड है जिसमें न्यायालय का विशिष्ट पहचान पत्र, केस क्रम संख्यांक (प्रदत्त वर्ष के लिए क्रमशः न्यायालय में एक से आरम्भ होते हुए) से मिलकर बनने वाला और वर्ष आगे की ओर स्लैश (/) द्वारा अलग किया गया अभिप्रेत है;

(4) "मामला सूची" से, न्यायालय द्वारा सुनवाए जाने वाले मामलों की दैनिक अनुसूची अभिप्रेत है;

(5) "प्रतिलिपियों" से, मूल दस्तावेजों, नस्तियों या अभिलेखों का प्रत्युत्पादन करना अभिप्रेत है, जो विधिक, प्रशासनिक, भू–अभिलेखों या न्यायालय कार्यवाहियों का भाग है। ये डिजिटल या भौतिक प्रतिलिपियां हो सकती हैं और ये विधि के अनुसार उनके हकदार पक्षकारों से अधिकारिक अनुरोध के अनुसार प्रस्तुत की जाती हैं;

(6) "प्रेषित" से, अभिलेख कक्ष में किसी नस्ति या दस्तावेज का सुरक्षित अभिरक्षा अभिप्रेत है;

(7) "प्रेषित नस्तियां" से, राजस्व न्यायालय की ऐसी नस्तियों अभिप्रेत हैं जिन्हें अभिलेख कक्ष में रख दिया गया है;

(8) "प्रतिलिपि अभिकरण (एजेंसी)" से, "वित्तायुक्त, हिमाचल प्रदेश (राजस्व एवं अपील) कार्यालय प्रतिलिपि एजेंसी नियम, 1993", "हिमाचल प्रदेश उपायुक्त कार्यालय प्रतिलिपि एजेंसी नियम, 1994" और "ऑनलाइन प्रतिलिपि एजेंसी नियम, 2024'' में यथा परिभाषित (एजेंसी) अभिकरण अभिप्रेत है;

(9) "न्यायालय" से, हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1994 के अधीन न्यायिककल्प शक्ति का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश में प्रकार्य समस्त राजस्व अधिकारी अभिप्रेत हैं;

(10) "डिजिटल हस्ताक्षर" से, हस्ताक्षर की डिजिटल छाप या हस्ताक्षरकर्ता की दस्तावेज की प्रमाणिकता सुनिश्चित करना अभिप्रेत है;

(11) "डैशबोर्ड" से, समस्त मामलों से सम्बन्धित डेटा को प्रदर्शन करने वाले ई–फाइलिंग पोर्टल में अंतरापृष्ट अभिप्रेत है;

(12) "डिजिटल अभिलेख" से, ऐसा अभिलेख अभिप्रेत है जिसे डिजिटाइज किया गया है;

(13) "डिजिटाइज" से, भौतिक या एनालॉग जानकारी, जैसे दस्तावेजों, अभिलेख या प्रतिबिम्ब को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया करना अभिप्रेत है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित, संगृहीत और प्रसारित किया जा सकता है;

(14) "ई–फाइलिंग पोर्टल" से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से केस फाइल प्रस्तुत करने और प्रबंध करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म अभिप्रेत है;

(15) "क्षेत्र सत्यापन" से, राजस्व अधिकारियों द्वारा संचालित किया गया आनसाईट (स्थल पर) निरीक्षण अभिप्रेत है;

(16) "ई–रसीद" से, पोर्टल द्वारा जनित संदाय की अभिस्वीकृति अभिप्रेत है;

(17) "जमाबन्दी" से, हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 32 के अधीन यथा परिभाषित अधिकार–अभिलेख अभिप्रेत है;

(18) "नायब तहसीलदार" से, एक ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसमें हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अधीन सहायक कलक्टर ग्रेड–II की शक्तियां निहित हैं और जो अपनी अधिकारिता के भीतर भू–अभिलेख का प्रबन्ध करने, राजस्व स्कीमों को कार्यान्वित करने और भू–सम्बन्धित विवादों के निपटारे हेतु उत्तरदायी हैं;

(19) "ओ0टी0पी0 (वन टाइम पासवर्ड)" से, अधिप्रमाणीकरण के लिए रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नम्बर पर भेजा गया सुरक्षित कोड अभिप्रेत है;

(20) "ऑनलाइन फाइलिंग" से, राजस्व न्यायालय को आवेदनों, याचिकाओं और दस्तावेजों इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(21) "ऑनलाइन प्रणाली" से, सरकार द्वारा बनाया गया कम्प्यूटर स्पेलिकेशन अभिप्रेत जो इंटरनेट पर खुले तौर पर उपलब्ध है;

(22) "ओ0सी0आर0 (ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोग्निशन)" से, स्कैन किए गए दस्तावेज से पाठ्य–सामग्री को पहचान को समर्थ बनाने वाली प्रौद्योगिकी अभिप्रेत है;

(23) "पेमेंट गेटवे" से, इंटरनेट पर विभिन्न सेवाओं के लिए एक प्रणाली अभिप्रेत है जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यू0पी0आई0) सहित अन्य इलेक्ट्रानिक संदत्त प्रणालियों का उपयोग करके किए गए लेन–देन के प्राधिकरण और निपटान की सुविधा प्रदान करता है;

(24) "याची" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो राजस्व न्यायालय में न्यायिक राहत चाहने वाला याचिका फाइल करता है;

(25) "पी0डी0एफ0 दस्तावेज" से, एडोब सिस्टम द्वारा रचित (बनाया गया) एक प्रारूप फाइल अभिप्रेत है, जो पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप (पी0डी0एफ0) के रूप से ज्ञात है, जिसका उपयोग एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम से स्वतन्त्र रीति से दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है और इसमें टेक्स्ट, प्रतिबिंब अंतर्विष्ट हो सकते हैं और अन्य तत्व तथा बहुधा आधिकारिक प्रपत्रों और रिकार्ड के लिए उपयोग किए जाते हैं;

(26) "पीठासीन अधिकारी" से, राजस्व न्यायालय का प्रभावी राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है; पर्यवेक्षण में ऑनलाइन प्रतिलिपि एजेंसी कृत्य करती है;

(27) "प्रोफार्मा प्रत्यार्थी" से, केस में अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्वलित पक्षकार अभिप्रेत है;

(28) "रीडर" से, न्यायालय में तैनात किया गया कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन कार्य तथा न्यायालय से संबंधित विभिन्न कार्यों में सहायता और न्यायालय कार्यवाही के सुचारू कृत्य को सुनिश्चित करता है;

(29) "रिकार्ड कक्ष" से, ऐसा कक्ष अभिप्रेत है जहां बंद केस फाइलों को डिजिटल रूप में संग्रहीत करने का भण्डार है;

(30) "चालान नस्तियां" से, राजस्व / न्यायालय नस्तियां अभिप्रेत हैं जिन्हें अभिलेख कक्ष में प्रेषित नहीं किया गया है;

(31) "समन" से, न्यायालय में अपेक्षित (आवश्यक) पक्षकारों को उपस्थित करने के लिए एक विधिक (कानूनी) नोटिस अभिप्रेत है;

(32) "तहसीलदार" से, किसी तहसील के प्रभारी राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है, जो हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अधीन सहायक कलेक्टर ग्रेड–I की शक्तियां धारित करते हुए, और जो अपनी अधिकारिता के भीतर भू–अभिलेख का प्रबन्ध करने, राजस्व स्कीमों को कार्यान्वित करने और भू–सम्बन्धित विवादों के निपटारे हेतु उत्तरदायी हैं;

(33) "एस0एम0एस" से, लघु संदेश सेवा अभिप्रेत है, जो अधिकांश टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस सिस्टम का टैक्स्ट मैसेजिंग सेवा घटक है जो उपकरणों के बीच लघु संदेश भेजने की अनुमति देता है;

(34) "यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यू0पी0आई0)" से, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एन0पी0सी0आई0) द्वारा विकसित वास्तविक समय में संदत्त प्रणाली, मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है, अभिप्रेत है;

(35) "यू0आर0एल0" से, इंटरनेट पर संसाधनों तक पहुंचने के लिए उपयोग किए गए एक संदर्भ या पता, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अभिप्रेत है;

(36) "वकालतनामा" से, नयायालय में किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिवक्ता को प्राधिकृत करने वाला दस्तावेज अभिप्रेत है;

(37) "जिमनी आदेश" से, किसी मामले की कार्यवाही के विचाराधीन के दौरान न्यायालय या राजस्व प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अंतिम आदेशों निर्दिष्ट करना। ये आदेश मामले की सुचारू प्रगति के लिए आवश्यक तत्काल प्रक्रियात्मक या प्रशासनिक मामलों को संबोधित करते हैं किन्तु अंतिम निर्णय या समाधान (संकल्प) नहीं है;

(38) "वीडियो कान्फ्रेंस" से, दूरस्थ से सुनवाई करने के प्रौद्योगिक के उपयोग अभिप्रेत है;

(39) "वीडियो कान्फ्रेंस अनुरोध" से, किसी पक्षकार द्वारा वीडियो कान्फ्रेंस सुविधा के माध्यम से दूरस्थ सुनवाई का अनुरोध करने वाले आवेदन अभिप्रेत हैं;

उन समस्त शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वे ही अर्थ होंगे जो हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968, और हिमाचल प्रदेश वित्तायुक्त (राजस्व और अपील) कार्यालय के लिए प्रतिलिपि एजेंसी नियम, 1993 और हिमाचल प्रदेश उपायुक्त कार्यालय प्रतिलिपि एजेंसी नियम, 1994, हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (ई–स्टांपिंग) नियम, 2015, हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन प्रतिलिपि एजेंसी नियम, 2024 में उनके हैं अन्य शब्दों का अपना सामान्य रूप से स्वीकृत शब्दकोश अर्थ होगा।

3. राजस्व मामलों को ऑनलाइन फाइल करना.––(1) राजस्व मामलों का ऑनलाइन फाइल करना ऐसे न्यायालय और ऐसी तारीख से प्रभावी होगी, जैसी सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

(2) यह प्रक्रिया ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रवर्गों पर लागू होगी जैसी इस प्रक्रिया में वर्णित है।

(3) ऑनलाइन फाइल करना किसी बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत एडवोकेट–ऑन–रिकार्ड और व्यक्तिगत रूप से याची के लिए है।

(4) समस्त अधिवक्ताओं को न्यायालय केस प्रबन्ध पोर्टल पर एक बार अपना ई–मेल आई0डी0 और दूरभाष नम्बर रजिस्टर करना अपेक्षित होगा। रजिस्ट्रीकरण के दौरान, उन्हें अपने रजिस्ट्रीकरण नम्बर, बार काउंसिल का नाम, अधिवक्ता के रूप में उनके नामांकन को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज और वेबसाइट पर उपलब्ध पूरा नमूना हस्ताक्षर फॉर्म सहित मुख्य विवरण प्रदान करना होगा।

(5) मामले किसी भी दिवस या किसी भी समय या कहीं से भी ऑनलाइन फाइल किया जा सकेगा। तथापि, परिसीमा की गणना के प्रयोजन के लिए इसे उसी दिवस या अगले कार्य दिवस पर फाइल किया गया माना जाएगा यदि इसे किसी अवकाश के दिवस फाइल किया गया है।

(6) न्यायालय मामलों के प्रबन्ध के लिए, प्रत्येक राजस्व न्यायालय में एक पीठासीन अधिकारी और दूसरा रीडर के लिए लॉगइन दो प्रकार की होगी।

(7) राजस्व मामलों को सौंपे गए केस नम्बरों सम्पूर्ण राज्य में अद्वितीय होंगे। प्रत्येक केस नम्बर में न्यायालय का लॉगइन आई डी, उस वर्ष का क्रमांक संख्या और वर्ष सम्मिलित होगा जिसे फार्वर्ड स्लैश (/) द्वारा पृथक् किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि न्यायालय की लॉग इन आई डी 7007 और वर्ष का नौवां केस फाइल किया गया है तो केस नम्बर 7007–9 / 2024 के रूप में स्वरूपित होगा।

(8) यदि कोई न्यायालय वर्ष के मध्य में ऑनलाइन फाइल करने में परिवर्तित होता है, तो क्रमांक संख्या उस वर्ष में उपयोग किए गए अंतिम संख्या से प्रारम्भ होगा। पीठासीन अधिकारी को अंतिम निर्दिष्ट क्रमांक संख्या प्रविष्ट करना होगा और पोर्टल उस बिन्दु से आगे संख्या जारी रखेगा।

(9) ऐसे न्यायालय जहां प्रत्येक प्रकार के केस के लिए पृथक् रूप से संस्थित रजिस्टर अनुरक्षित है, प्रत्येक रजिस्टर में केस नम्बर 1 से आरम्भ होते हुए, पीठासीन अधिकारी किसी भी रजिस्टर से उच्चतम केस नम्बर पोर्टल में प्रविष्ट करेगा। तत्पश्चात् समस्त भौतिक रजिस्टर बंद कर दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रकार के केस के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर पोर्टल में देखने और डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होंगे।

(10) एक बार जब न्यायालय पूरी तरह से ऑनलाइन संचालन में परिवर्तित हो जाएगा तो संस्थान रजिस्टर और निर्णय रजिस्टर सहित समस्त रजिस्टर का रख–रखाव विशेष रूप से मामले प्रबंध सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाएगा। ऐसे मामलों में अब भौतिक रजिस्टर बनाए रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

4. आवेदन फाइल करना.—(1) मेमो / आवेदन विभाग द्वारा डिजाइन्ड सॉफ्टवेयर के माध्यम से फाइल किया जाएगा।

(2) नागरिक या उनके अधिवक्ता अपने–अपने खातों के माध्यम से अपना आवेदन दायर कर सकेंगे।

(3) यदि अपील / पुनरीक्षण / पुनर्विचार सरकार द्वारा दायर किया जाना हो, तो इसे अतिरिक्त जिला–न्यायवादी / जिला न्यायवादी / पैनल में शामिल अधिवक्ता द्वारा उनकी रजिस्ट्रीकृत आईडी के माध्यम से फाइल किया जाएगा।

(4) आवेदक (जो निचली अदालत में आवेदक / अपील अदालत में अपीलार्थी / उच्चतर अदालत में याचिकाकर्ता हो सकता है) उस न्यायालय का चयन करेगा जिसके अंतर्गत विवादित क्षेत्र अवस्थित है और जिसमें आवेदन से संबंधित सभी मूलभूत जानकारी दर्ज की जाएगी। इन ब्यौरे में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल होंगेः–

(1) आवेदक के ब्यौरे जिसमें वर्तमान पता, संपर्क ब्यौरे के साथ उनके आधार संख्या इत्यादि सम्मिलित हैं।

(2) यदि मामले में अधिवक्ता अंतर्वलित हो की दशा में, तो अधिवक्ता के ब्यौरे तथा उसका वकालतनामा अपलोड किया जाएगा। मामले में अधिवक्ता जोड़ने के लिए सरकार द्वारा यथा विहित फीस प्रभारित की जाएगी।

(3) प्रतिवादी के ब्यौरे जिसमें वर्तमान पता, संपर्क ब्यौरे सम्मिलित हैं

(4) प्रोफोर्मा प्रतिवादी के ब्यौरे जिसमें वर्तमान पता, संपर्क ब्यौरे सम्मिलित हैं

(5) वाद का प्रकार (आवेदन / अपील / पुनरीक्षण / पुनर्विचार)

(6) वाद का उप–प्रकार (अधिनियम की धारा और नियम जिसके अधीन आवेदन फाइल किया जा रहा है सम्मिलित है)।

(7) मामले का स्वरूप (जैसे सीमांकन, विभाजन, राजस्व प्रविष्टि की भूल सुधार, अधिक्रमण या किराएदारी, धारा 118 इत्यादि)।

(8) विवादित क्षेत्र की विशिष्टियां जिसमें राजस्व गांव का नाम, पटवार वृत्त, तहसील और जिला के साथ भूमि का खाता / खतौनी संख्या और खसरा संख्या सम्मिलित है।

(9) भूमि अभिलेखों से संबंधित डेटा ई–हिमभूमि एल0एम0के0 सॉफ्टवेयर से स्वचालित रूप से प्राप्त किया जा सकेगा।

(10) आवेदक को ई–हिमभूमि एल0एम0के0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से "अपडेटेड एवं डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित नकल जमाबंदी" प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा, जिसके लिए आवेदक को अपना विशिष्ट नकल नंबर दर्ज करना होगा।

(11) न्यायालय की सुनवाई के स्थान का अधिमान पता [जैसे मंडलीय आयुक्तों और वित्तीय आयुक्त (अपील) के न्यायालय] आवेदक द्वारा चयनित किया जाएगा, जब मामले की सुनवाई की जाएगी। ये पते प्रत्येक न्यायालय के लिए विभाग द्वारा यथा अनुरक्षित रोस्टर से लिए जाएंगे।

(5) आवेदक सॉफ्टवेयर में पूरा आवेदन / याचिका लिख सकता है, जिसे वह सॉफ्टवेयर राजस्व न्यायालयों द्वारा स्वीकार्य प्रारूप में परिवर्तित कर देगा। वैकल्पिक रूप से, आवेदक पूर्व–लिखित आवेदन / याचिका अपलोड भी कर सकता है।

(6) भूमि विवाद से संबंधित आवेदनों के लिए, आवेदक को विवादित भूमि के ब्यौरे भरने चाहिए किन्तु उन्हें ई–हिमभूमि पोर्टल से प्राप्त किया जा सकेगा।

(7) वैकल्पिक रूप से, आवेदक जमाबंदी (जब तक नकल जमाबंदी पोर्टल सार्वजनिक नहीं किया जाता) की प्रमाणित प्रति और फील्ड नक्शा अपलोड कर सकता है।

(8) भू–नक्शा पोर्टल से नवीनतम नक्शा प्रतिलिपि प्राप्त करने का भी उपबन्ध किया जाएगा

(9) प्रथम सुनवाई के समय आवेदक को फील्ड मैप की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी, क्योंकि उनकी अनिवार्यता फील्ड निरीक्षण के दौरान होगी।

(10) आवेदक / अधिवक्ताओं को किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, हलफनामा, म्यूटेशन की प्रति तथा अन्य अनिवार्य दस्तावेज (जो मामले की प्रकृति के अनुसार आवश्यक हों) अपलोड करने की अनुमति होगी।

(11) यदि अपील / पुनर्विचार / पुनरीक्षण याचिका दायर की जाती है, तो निम्नलिखित जानकारी / दस्तावेज अपलोड किए जाएंगेः–

(i) निम्न न्यायालय का नाम

(ii) निम्न न्यायालय का केस नम्बर

(iii) निम्न न्यायालय के परिबद्ध आदेश की तारीख

(iv) अपील / पुनरीक्षण की दशा में, आवेदक एक से अधिक न्यायालयों के परिबद्ध आदेश ब्यौरे बढ़ा सकेगा।

(v) आवेदक निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति अपलोड कर सकेगा

(vi) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में निम्न न्यायालय की प्रति प्रदाय की तारीख को उल्लिखित करना होगा।

(vii) यदि निम्न न्यायालय के आदेशों की प्रमाणित प्रति सॉफ्टवेयर से जनित की गई है तो उसके लिए उत्पन्न अद्वितीय रसीद संख्या उसी पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित समस्त ब्यौरे उसी से प्राप्त किए जा सकेंगे।

(viii) परिसीमा अवधि, आवेदक को प्रमाणित प्रति प्रदाय किए जाने की तारीख से परिसीमा अवधि की गणना की जाएगी।

(ix) यदि अपील / पुनरीक्षण / पुनर्विलोकन फाइल करने की परिसीमा अवधि सीमा समाप्त हो गई है तो अन्य सुसंगत उपबन्धों या परिसीमा अधिनियम की धारा 5 या अन्य सुसंगत उपबन्ध के अधीन परिसीमा अनुज्ञात के लिए आवेदन अपलोड करना आवश्यक होगा। इस हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर विहित अतिरिक्त शुल्क प्रभारित की जाएगी।

5. आवेदन फीस (शुल्क) का संदाय.––(1) आवेदन प्रपत्र समापन के पश्चात् आवेदक को ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से आवेदन फीस (शुल्क) का संदाय करना होगा। आवेदन फीस (शुल्क) में समय–समय पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित समस्त प्रकार के फीस (शुल्क) सम्मिलित होंगे। सरकार खाते के शीर्ष का भी विनिश्चय करेगी जिसमें फीस (शुल्क) जमा की जाएगी / किया जाएगा।

(2) परीक्षा हेतु आवेदन केवल तभी प्रस्तुत किया जाएगा जब आवेदक द्वारा फीस (शुल्क) का संदत्त कर दिया जाएगा।

(3) आवेदन फीस (शुल्क) में उन समस्त प्रकार के शुल्क शामिल होंगे, जो पहले चिपकने वाले न्यायालय स्टाम्प के रूप में एकत्र किए जाते थे।

(4) फीस (शुल्क) का संदाय ऑनलाइन प्रणाली में दिए गए संदाय गेटवे के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें यू0पी0आई0 या अन्य उपलब्ध संदाय विकल्पों का उपयोग किया जा सकेगाः

(i) सफलतापूर्वक संदाय होने पर, स्वतः जनित एस0एम0एस0 के माध्यम से आवेदक को रसीद भेजी जाएगी।

(ii) संदाय गेटवे के माध्यम से किया गया संदाय ऑनलाइन प्रणाली में तुरन्त सत्यापित किया जा सकेगा।

(iii) संदाय गेटवे से प्राप्त और आवेदन में प्रदर्शित संदाय की पुष्टि को न्यायालय फीस (शुल्क) के सफल संदाय के रूप में माना जाएगा।

(5) आवेदक द्वारा संदत्त की गई फीस (शुल्क) को एकल राज्य–स्तरीय खाते में संग्रहीत किया जाएगा और प्रत्येक मास के अन्त में या सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अभिहित कोषागार प्रमुख खाते में पश्चात्वर्ती जमा किया जाएगा। यह पोर्टल द्वारा प्रदान किए गए शुल्क विभाजन के माध्यम से की जाएगी।

6. **आवेदन का परीक्षण.**––(1) नवीन रूप से फाइल किए गए आवेदन सबसे पहले सम्बंधित न्यायालय के रीडर के लॉग–इन में प्रदर्शित होगा, जो आवेदन के प्रत्येक विवरण (ब्यौरे) का परीक्षण करेगा और किसी भी अशुद्धता रूप से भरे गए आवेदन को अपनी टिप्पणियों सहित आवेदक को वापस करने योग्य होगा।

(2) सॉफ्टवेयर से प्रिंटआउट नहीं ली जाएगी तथा परीक्षण की सम्पूर्ण प्रक्रिया केवल ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से ही की जाएगी।

(3) आवेदक केवल कार्यदिवसों में ही प्रसंसाधित किए जा सकेंगे। अवकाश के दिवसों में फाइल किए गए आवेदनों को अगले कार्यदिवस में निवेदन और परीक्षण किया जाएगा।

(4) यदि आवेदन आवेदक को वापस किया जाता है तो वही उसके लॉग–इन में प्रदर्शित होगा। आवेदक आवेदन को संपादित करने, कोई भी दस्तावेज अपलोड करने और पुनः परीक्षा हेतु पुनः प्रस्तुत करने योग्य होगा।

(5) यदि आवेदन में दिए गए समस्त ब्यौरे सही पाए जाते हैं तो आवेदन को पीठासीन अधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा जो उसे स्वीकार, वापस या अस्वीकृत कर सकेगा। पीठासीन अधिकारी के अनुमोदन हेतु आवेदन भेजे जाने से पूर्व रीडर यथास्थिति आवेदक के अनुरोध पर सुनवाई की तारीख और वह पता जहां मामले को सुनवाई हेतु प्रस्तावित किया जाएगा, अवगत करवाएगा।

(6) रीडर द्वारा सत्यापित समस्त ऐसे आवेदनों को सम्बद्ध न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के लॉग–इन पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(7) पीठासीन अधिकारी के पास प्रत्येक आशय में अपने टिप्पणियों के साथ मामले को वापस करने या अस्वीकृत करने का विकल्प होगा वापस करने की दशा में मामला प्रथमतः रीडर की लॉग–इन पर दर्शाया जाएगा और आवेदक के प्रत्यक्षतः पुनः निर्देशित नहीं किया जा सकेगा।

(8) यदि मामला अस्वीकृत किया जाता है तो पीठासीन अधिकारी प्रत्येक मामले हेतु उपबन्धित टिप्पणी कोष्ठ में ब्यौरे बार आदेश अवश्य अभिलिखित करेगा।

(9) आवेदन की स्वीकृत होने पर मामले को पीठासीन अधिकारी के अनुमोदन से उसी दिन न्यायालय में औपचारिक रूप से संस्थित किया जाएगा। तत्पश्चात् मामले की स्वीकृति को देखते हुए राज्यवार लागू पोर्टल पर एकल मामला संख्या जनित की जाएगी।

(10) पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमोदित सुनवाई की तारीख और सुनवाई के पते सहित आवेदन की स्वीकृति से सम्बन्धित अधिसूचना को अधिवक्ता सहित मामले में रजिस्ट्रीकृत समस्त पक्षकारों को उनके मोबाइल नम्बर और ई–मेल पते पर सांझा किया जाएगा।

(11) अपील / पुनरीक्षण / पुनर्विलोकन की दशा में मामले की स्वीकृति से सम्बन्धित सूचना को रीडर और सम्बंधित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी जिसके आदेश प्रश्नगत हैं, के लॉग–इन पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। फ्लैग सहित एक पृथक् कोष्ठ को उस न्यायालय के मामलों के विरुद्ध फाइल की गई अपील / पुनरीक्षण / पुनर्विलोकन / याचिका की स्थिति अधिकथित करते हुए प्रत्येक न्यायालय में उपलब्ध करवाया जाएगा।

(12) न्यायालय का रीडर अपने लॉग–इन के माध्यम से पीठासीन अधिकारी द्वारा उसकी स्वीकृति के पश्चात् आवेदक से आवेदन प्राप्त होने पर मामले में पक्षकारों को किसी भी समय जोड़ सकेगा।

(13) न्यायालय के रीडर के पास पीठासीन अधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन किसी भी मामले में साक्षियों को प्रविश्ट करने का भी विकल्प होगा। समन सॉफ्टवेयर के माध्यम से साक्षियों को जारी किया जा सकेगा।

7. अभिलेख तलब करना.––(1) मामले की स्वीकृति के पश्चात् और पीठासीन अधिकारी के आदेशों पर निम्नतम न्यायालय या अभिलेख कक्ष को भेजे गए अपने अभिलेखों में से अभिलेख तलब करेगा।

(2) यदि निम्नतम न्यायालय स्तर पर फाइल को स्कैन करके पोर्टल पर अपडेट नहीं किया जाता है तो निम्नतम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को एक अधिसूचना भेजी जाएगी, जिसमें उन्हें केस फाइल को स्कैन करके अभिलेख कक्ष में परेशित का अनुदेश दिया जाएगा।

(3) इस अधिसूचना को प्राप्त करने पर, पीठासीन अधिकारी को फाइल को स्कैन करके अगली सुनवाई की तारीख से पूर्व पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

(4) अधिवक्ताओं को भी उन समस्त दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त होगी जो मामलों से संबंधित है और जिन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमोदित जिम्नी आदेशों के साथ पक्षकारों द्वारा फाइल किया गया है पीठासीन अधिकारी के पास ऐसे अभिलेखों को सांझा करने का विकल्प होगा, जैसा कि वे उपयुक्त समझें।

(5) यदि मामला उच्च न्यायालय द्वारा निम्नतम न्यायालय को वापस प्रतिप्रेषित किया गया है तो निम्नतम न्यायालय के वर्तमान स्थिति के अनुसार पक्षकारों के ब्यौरे को संपादित करने और नवीनतम संस्थित तारीख के अनुसार एक नया मामला संख्या आबंटित करने का विकल्प होगा। पोर्टल के पास पहले से तय किए गए मामले के साथ वापस प्रतिप्रेषित किए गए मामले को लिंक करने का विकल्प होगा, जिसके विरुद्ध अपील / पुनर्विलोकन / पुनरीक्षण फाइल किया गया है, ताकि मामले से सम्बन्धित समस्त ब्यौरे एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे।

(6) पीठासीन अधिकारी को विधि के अधीन यथा विहित समरूप स्थिति वाले मामलों को लिंक करने का विकल्प होगा और उन्हें एक ही मामला माना जाएगा। समस्त लिंक किए गए मामलों में, जिस मामले की संस्थित तारीख सबसे पुरानी होगी, उसे आगे की सुनवाई के लिए उपयोग किया जाएगा और दिन–प्रतिदिन का कार्य केवल उसी मामले में किया जाएगा।

(7) ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से प्राप्त आवेदन पर व्यतिक्रम के लिए खारिज मामले प्रत्यावर्तित करने के लिए पीठासीन अधिकारी को विकल्प प्रदाय किया जाएगा। ऐसे मामलों में मूल मामलों की संख्या जारी रहेगी और मामले को उसी स्तर से आरम्भ किया जाएगा जहां इसे व्यतिक्रम के लिए खारिज किया गया था।

8. समन प्रक्रिया.––(1) किसी भी सुनवाई की तारीख के लिए जनित समस्त समन, पोर्टल के माध्यम से उपयोग ओ0टी0पी0 आधारित अनुमोदन पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमोदित होंगे। ओ0टी0पी0 पीठासीन अधिकारी के मोबाइल नम्बर पर भेजा जाएगा।

(2) समस्त पक्षकारों को समन की डिजिटल परिदान के लिए अपना संपर्क ब्यौरे (मोबाइल नंबर और ई–मेल सहित) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और राजस्व न्यायालय के माध्यम से जारी किए गए समन ऐसे समस्त पक्षकारों को डिजिटल रूप से परिदत्त किए जाएंगे। जिसमें सॉफ्टवेयर पर पूर्ण संपर्क ब्यौरे अद्यतन (अपडेट) होंगे। ऐसे मामले जहां पक्षकार अभी तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है या उसने संपर्क ब्यौरे प्रदाय नहीं किए या पीठासीन अधिकारी का अवलोकन है कि समन की भौतिक परिदान आवश्यक है, ऐसे समस्त मामलों में समन को उसी की भौतिक परिदान के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

(3) समस्त समन जिनमें सम्बद्ध पक्षकारों की भौतिक रूप से परिदाय आवश्यक है वे तहसीलदार/तहसील स्तर पर नायब तहसीलदार/उप–तहसील स्तर पर के लेखे में परिलक्षित होंगे।

(4) भौतिक रूप से समन की तामील हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम की धारा 21 के अनुसार की जाएगी। समनों की प्रिंटिंग (मुद्रण) और तामील सम्बद्ध तहसीलदार/नायब तहसीलदार का कर्त्तव्य होगा जहां पक्षकार निवास करते हैं।

(5) सुनवाई की अगली तारीख के सम्बन्ध में सूचना उन समस्त पक्षकारों को भेजी जाएगी जिन्होंने अपनी ई–मेल या मोबाइल नम्बर न्यायालय को प्रस्तुत किए हैं।

(6) तामील पर, सम्बद्ध पक्षकारों को एस0एम0एस0 के माध्यम से सांझा किया जाएगा, जिस पर क्लिक करके पक्षकार ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर अपना लेखा (खाता) बना सकेंगे और स्वयं को मामले से जोड़ सकेंगे।

(7) यदि आवेदक या प्रतिवादी ने किसी अधिवक्ता की सेवाएं ले रखी हैं तो अधिवक्ता वकालतनामा अपलोड करके अपने खाते (लेखे) के माध्यम से स्वयं के केस से लिंक कर सकेगा। तथापि, इस लिंकेज को सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

9. मामले की सुनवाई.––(1) पीठासीन अधिकारी के डैशबोर्ड पर वर्तमान तारीख को सुनवाई हेतु अधिसूचित समस्त मामलों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। उनके समस्त मामलों से सम्बन्धित सूचना की पहुंच होगी और वे पोर्टल में दर्शाई गई अद्यतन सूचना के आधार पर सुनवाई संचालित करेंगे।

(2) पीठासीन अधिकारी मामले में अपनी टिप्पणियां लिखने हेतु समर्थ होगा परन्तु वे केवल सम्बद्ध न्यायालय के रीडर को ही प्रदर्शित होंगे।

(3) पीठासीन अधिकारी सुनवाई की अगली तारीख और स्तर जिसके लिए मामला निहित किया गया है, को समनुदेशित करने में समर्थ होगा।

(4) पीठासीन अधिकारी मामले में किसी भी समर्थित दस्तावेज (माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय के निर्णय, राज्य/केन्द्रीय सरकार का कोई अधिनियम/नियम) को संलग्न करने में समर्थ होगा। पोर्टल में भू–संहिता का लिंक भी उपबंधित किया जाएगा।

(5) मामले की वाद सूची भी पीठासीन अधिकारी द्वारा समनुदेशित अगली सुनवाई की तारीख का उपयोग करते हुए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तैयार की जाएगी। वाद सूची प्रकाशित होने के पश्चात् यह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होगी।

(6) किसी भी मामले को सूचीबद्ध करने की सूचना भी वाद सूची के अनुमोदन के पश्चात् सम्बद्ध पक्षकारों / अधिवक्ताओं को प्रत्यक्षतः एस0एम0एस0 या ई–मेल के माध्यम से भी भेजी जाएगी।

(7) पीठासीन अधिकारी / रीडर सुनवाई के दौरान पक्षकारों की उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे तथा किसी भी पक्षकार को नोटिस जारी करने का निर्णय ले सकेंगे।

10. जिम्नी आदेशों का अद्यतन.––(1) जिम्नी आदेशों की प्रविष्टि हेतु सॉफ्टवेयर में एक समर्पित कोष्ठ उपबन्धित किया जाएगा और यह विकल्प केवल पीठासीन अधिकारी के लॉग–इन के माध्यम से सुगम होगा।

(2) पीठासीन अधिकारी जिम्नी आदेश को अंतिम रूप देने से पूर्व इसे ड्राफ्ट में सुरक्षित रखेगा और इसे अन्तिम रूप देने से पूर्व किसी भी समय दुरुस्त कर सकेगा। जिम्नी आदेश एक बार अनुमोदित हो जाने पर बदला नहीं जा सकेगा।

(3) पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रविष्टि और अनुमोदित समस्त जिम्नी आदेश पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक आदेश में सम्मिलित न्यायालय के नाम से सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किया जाएगा।

(4) जिम्नी आदेशों को सरकार द्वारा यथा विहित रूप से विधान ड्राफ्ट किया जाएगा।

(5) ये आदेश डिजिटल हस्ताक्षर, फोटो हस्ताक्षर या ओ0टी0पी0 पर आधारित संकेतों का प्रयोग करके हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

(6) न्यायालय द्वारा जारी प्रत्येक आदेश में प्रत्येक पृष्ठ पर इसकी विशिष्टतः सटीकता बनाए रखने हेतु स्टाम्पित तारीख, समय और क्यू0आर0 कोड होगा । इसके अतिरिक्त इसकी विधिक विधिमान्यता वर्णित करते हुए आदेश के प्रत्येक पृष्ठ पर अधिसूचना का संदर्भ दिया जाएगा।

11. मामले में अतिरिक्त दस्तावेज / आवेदन अपलोड करना.––(1) पक्षकार अपने लॉग–इन के माध्यम से अतिरिक्त दस्तावेज (उदाहरणार्थ वकालतनामा, सही पता देने हेतु आवेदन, विधिक वारिसों के ब्यौरे हेतु आवेदन और कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज) अपलोड करने हेतु समर्थ होंगे। अतिरिक्त दस्तावेज केवल सरकार द्वारा समय–समय पर यथा विहित केवल न्यायालय शुल्क जमा करने के पश्चात् केवल पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(2) यदि पक्षकार दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने में असमर्थ हो तो वे उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत कर सकेंगे जो उसके पश्चात् उन्हें पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

(3) मामले की फाइल से सम्बन्धित नए दस्तावेजों या आवेदनों को जोड़े जाने से सम्बन्धित अधिसूचनाएं सुनवाई के पश्चात् सभी पक्षकारों को भेजी जाएंगी।

(4) पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त दस्तावेजों के पीठासीन अधिकारी द्वारा उनकी पहचान (आई0डी0) के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी दस्तावेज को प्रत्यक्षतः स्वीकृत कर सकेगा और उसका उत्तर / प्रतिउत्तर फाइल करने हेतु मामले की तारीख नियत कर सकेगा।

(5) अधिवक्ताओं को बदले जाने के इच्छुक पक्षकार पीठासीन अधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन वकालतनामा सहित पोर्टल में नए अधिवक्ता के ब्यौरे अद्यतन करेंगे।

(6) ऐसे आवेदन जिनमें क्षेत्रीय कर्मचारियों (पटवारी / कानूनगो) का अन्तर्वलन है, उन्हें उनके लेखों में अग्रेषित किया जाएगा।

(7) मामले की फाइल के साथ अपलोड किए गए नक्शे पर क्षेत्रीय सत्यापन हेतु विचार नहीं किया जाएगा, आवेदक एक प्रमाणित प्रति अवश्य लेगा और उसे क्षेत्रीय सत्यापन के दौरान सम्बद्ध पटवारी / कानूनगो को प्रस्तुत करेगा।

(8) प्रमाणित प्रति को पटवारी / कानूनगो द्वारा मूल अभिलेख के सामने स्थापित किया जाएगा।

(9) क्षेत्रीय अभिकरण की रिपोर्ट को उनके लेखा के माध्यम से सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाएगा। तथापि, क्षेत्रीय दौरे के दौरान तैयार किए नक्शे न्यायालय को प्रस्तुत किए जाएंगे और वे भौतिक फाइल में तब तक रखा जाएगा जब तक मामले का विनिश्चय नहीं हो जाता है तत्पश्चात् उन्हें रीडर द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

12. आदेशों का अद्यतन.––(1) मामले से सम्बन्धित आदेशों (अंतरिम / अंतिम) पीठासीन अधिकारी के लॉग–इन में उपबन्धित पृथक कोष्ठ पर ड्राफ्ट किया जाएगा। यदि आदेश वर्ड फाइल पर लिखे गए हैं तो उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा।

(2) पोर्टल पर ड्राफ्ट किए गए समस्त आदेश सम्बद्ध न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा ओ0टी0पी0 आधारित सत्यापन के माध्यम से हस्तांतरित किए जाएंगे।

(3) न्यायालय द्वारा जारी प्रत्येक आदेश के प्रत्येक पृष्ठ पर इसकी विशिष्ट स्टीकता को बनाए रखने हेतु स्टाम्पित तारीख और समय तथा क्यू0आर0 कोड होगा। इसके अतिरिक्त इसके विधिक विधिमान्यता वर्णित करते हुए अधिसूचना के सन्दर्भ को आदेश के प्रत्येक पृष्ठ पर भी उपबन्धित किया जाएगा।

13. विनिश्चय के पश्चात् मामले की फाइल का प्रेषण.––(1) अंतिम आदेश पारित किए जाने के पश्चात् मामलों को अभिलेख कक्ष को ऑन–लाइन प्रेषित किया जाएगा।

(2) न्यायालय का रीडर न्यायालय फाइल से सम्बन्धित दस्तावेजों को इनके प्रेषण से पूर्व पूर्ण व्यवस्थित करने में समर्थ होगा। मामले से सम्बन्धित अतिशेष अभिलेखों के दृष्टिगत जिम्नी आदेश सहित एकल पीडीएफ सृजित की जाएगी जिसे कालानुक्रमिक क्रम में शीर्ष रख जाएगा।

(3) मामले में अपलोड किए गए समस्त दस्तावेजों को सॉफ्टवेयर द्वारा स्वयं प्रेषण फाइल के साथ संलग्न किया जाएगा।

(4) पीठासीन अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् केस फाइल को सम्बद्ध न्यायालय के डिजिटल अभिलेख कक्ष को अंतरित किया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से भेजी गई फाइलों की वही विधिक विधिमान्यता होगी जो "ऑनलाइन कॉपी एजेंसी नियम, 2024" में प्रदर्शित है।

आदेश द्वारा,

कमलेश कुमार पंत,
वित्तायुक्त (राजस्व)।

––––––––––

[Authoritative English text of the Department's Notification No. REV-B-A(03)/28/2024, dated 09-09-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th September, 2025

No. REV-B-A(03)/28/2024.—Whereas, the draft Himachal Pradesh Online Filing and Processing of Court Cases Rules, 2025 were notified *vide* Notification No. REV-B-A(03)/28/2024, dated 20th May, 2025 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh dated 6th June, 2025 for inviting objection(s) and suggestions(s) from the person likely to be affected thereby as required under Section 169 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954;

And whereas no objection has been received in this behalf during this stipulated period.

Now, therefore in exercise of the power conferred by clause(g) of Section 168 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 the Financial Commissioner (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh, hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) These rules shall be called as the Himachal Pradesh Online Filing and Processing of Court Cases Rules, 2025.

(2) They shall extend to the whole of Himachal Pradesh.

(3) They shall come into force from the date of publication of the rules in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.

2. Definitions.—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:

(1) "Applicant" means the applicant at trial court level, appellant at the appellate court and petitioner at the higher court;

(2) "Application fee" means the court fee payable by the applicant, which can be paid using adhesive stamps, UPI, or an e-stamp certificate, as prescribed by the Government from time to time;

(3) "Case Number" means a unique identification code assigned to each case, consisting of the court's unique ID, the serial number of the case (starting from one in the respective court for a given year), and the year, separated by a forward slash (/);

(4) "Cause List" means the daily schedule of cases to be heard by a court;

(5) "Copies" mean reproductions of original documents, files or records that are part of legal, administrative, land records or court proceedings. These can be digital or physical copies and are produced as per official request from parties entitled to them under the law;

(6) "Consigned" means safe custody of any file or document in the record room;

(7) "Consigned files" means the Revenue court files which have been consigned in the record room;

(8) "Copying agency" means an agency as defined in the "Copying Agency Rules for the offices of the Financial Commissioner (Revenue and Appeals), 1993", the "Copying Agency Rules for the offices of the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh, 1994" and the "Online Copying Agency Rules, 2024";

(9) "Court" means all the Revenue courts functioning in Himachal Pradesh as per the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954;

(10) "Digital Signature" means digital imprint of the signature or the signatory ensuring document authenticity;

(11) "Dashboard" means the interface in the e-filing portal displaying all case-related data;

(12) "Digital record" means a record that has been digitised;

(13) "Digitise" means the process of converting physical or analog information, such as documents, records or images, into a digital format, which can be processed, stored, and transmitted electronically;

(14) "E-Filing Portal" means the online platform for submitting and managing case files electronically;

(15) "Field Verification" means the on-site inspection conducted by revenue officials;

(16) "E-Receipt" means an acknowledgment of payment generated by the portal;

(17) "Jamabandi" means the Record of Rights as defined under section 32 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954;

(18) "Naib Tehsildar" means an officer vested with the powers of an Assistant Collector Grade-II under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954, responsible for managing land records, implementing revenue schemes and resolving land-related disputes within their jurisdiction;

(19) "OTP (One-Time Password)" means a secure code sent to the registered mobile number for authentication;

(20) "Online Filing" means the process of electronically submitting applications, petitions, and documents to Revenue Courts;

(21) "Online system" means a computer application made by the government which is openly accessible on the internet;

(22) "OCR (Optical Character Recognition)" means technology enabling text recognition from scanned documents;

(23) "Payment Gateway" means a system for the payment of various services on the internet that facilitates the authorization and settlement of transactions made using

credit cards, debit cards and other electronic payment methods, including Unified Payments Interface (UPI);

(24) "Petitioner" means a person who files a petition seeking judicial relief in a Revenue Court;

(25) "PDF document" means a file format created by Adobe Systems known as Portable Document Format (PDF), which is used to present documents in a manner independent of application software, hardware or operating systems and can contain text, images, and other elements and are often used for official forms and records;

(26) "Presiding officer" means the Revenue Officer in charge of a Revenue Court;

(27) "Proforma Respondent" means a party indirectly involved in the case;

(28) "Reader" means an official posted in the court who works under the direct supervision of the Presiding Officer of the court, assisting in various tasks related to court and ensuring the smooth functioning of court proceedings;

(29) "Record Room" means the repository for digitally storing closed case files;

(30) "Running files" means the revenue/court files which have not been consigned in the record room;

(31) "Summons" means a legal notice requiring parties to appear in court;

(32) "Tehsildar" means a revenue officer in charge of a Tehsil, holding the powers of an Assistant Collector Grade-I under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954, responsible for managing land records, implementing revenue schemes and resolving land-related disputes within their jurisdiction;

(33) "SMS" means Short Message Service, a text messaging service component of most telephone, internet and mobile device systems that allows the sending of short text messages between devices;

(34) "Unified Payments Interface (UPI)" means a real-time payment system developed by the National Payments Corporation of India (NPCI), facilitating instant money transfer between bank accounts through a mobile platform;

(35) "URL" means Uniform Resource Locator, a reference or address used to access resources on the internet;

(36) "Vakalatnama" means a document authorizing an advocate to represent a party in court;

(37) "Zimni Order" refers to interim orders issued by a court or revenue authority during the pendency of case proceedings. These orders address immediate procedural or administrative matters necessary for the smooth progression of the case but are not final judgments or resolutions;

(38) "Video Conference" means the use of technology to conduct hearings remotely;

(39) "Video Conferencing Request" means an application by a party requesting a remote hearing through a video conference facility;

All other words and expressions used herein but not defined in these rules shall have the same meanings as have been assigned to them in the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (6 of 1954), Himachal Pradesh Court Fee Act, 1968, the Copying Agency Rules for the offices of Financial Commissioner (Revenue and Appeals), 1993, Copying Agency (for the offices of the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh) Rules, 1994, Himachal Pradesh court fee (e-stamping) Rules, 2025, the Online Copying Agency Rules, 2024, Himachal Pradesh e-court fee Rules, 2015 other words shall have their generally accepted dictionary meanings.

3. Online filing of Revenue Cases.—(1) The online filing of the Revenue Cases will be effective in such courts and from such date as is notified by the Government.

(2) This procedure shall be applicable on such categories of persons and entities as are described in this procedure.

(3) The online filing is for Advocates-on-record registered with any Bar Council, and the Petitioners-in-Person.

(4) All advocates will be required to register their e-mail ID and phone number once on the court case management portal. During registration, they must provide key details, including their registration number, the name of the Bar Council, a document certifying their enrollment as an advocate and a completed specimen signature form available on the website.

(5) The cases can be filed online on any day or at any time or from anywhere. However, for the purpose of computation of limitation, the same will be considered to have been filed on the same day or on the next working day in case the same has been filed on any holiday.

(6) For the management of court cases, each Revenue Court will have two types of logins: one for the Presiding Officer and another for the Reader.

(7) The case numbers assigned to Revenue cases will be unique across the entire state. Each case number will include the login ID of the court, a serial number for that year, and the year separated by a forward slash (/). The serial number will automatically reset on the first day of each year. For example, if the court's login ID is 7007 and the 9th case of the year is filed, the case number will be formatted as 7007-9/2024.

(8) If a court transitions to online filing during the middle of a year, the serial number will start from the last number used in that year. The Presiding Officer must enter the last assigned serial number, and the portal will continue numbering from that point onward.

(9) For courts where institution registers are maintained separately for each type of case, with case numbers starting from 1 in each register, the Presiding Officer will input the highest case number from any register into the portal. Thereafter, all physical registers will be closed, and electronic registers for each type of case will be initiated. These electronic registers will be available for viewing and downloading from the portal.

(10) Once a court transitions fully to online operations, all registers, including the institution register and decision register, will be maintained exclusively in electronic form using the case management software. In such cases, there will no longer be a requirement to maintain physical registers.

4. Filing of Application.—(1) The memo/application will be filed through the software designed by the department.

(2) Citizens, and advocates will be able to file their application through their accounts.

(3) In case the appeal/ review/ revision has to be filed by the government, the same will be filed by the Additional District Attorney/ District Attorney/ Empanelled Advocate through their registered ID.

(4) The applicant (which will include the applicant at trial court level/ appellant at the appellate court and petitioner at the higher court) will select the court under which the area in dispute is situated and will have to fill in the basic details related to the application, which includes:—

(1) The details of the applicant including current address, contact details alongwith their Aadhar number.

(2) In case the advocate is involved in the case, the details of the advocate alongwith his vakalatnama will have to be uploaded. Fees as prescribed by the government will be charged for adding advocates in the case.

(3) The details of the respondent including current address and contact details

(4) The details of the proforma respondent including current address and contact details.

(5) Case type (Application/Appeal/Revision/Review)

(6) Case Sub-Type (including the section of the act or any rule under which the application is being filed).

(7) Nature of Case (*i.e.* Demarcation, Partition, Correction of Revenue Entry, Encroachment, Tenancy, Section 118 etc.).

(8) Particulars of the area under dispute include the name of Revenue Village, Patwar circle, Tehsil and District alongwith Khata/ Khatauni Number and Khasra number of the land.

(9) Data related to land records can be automatically fetched from the e-himbhoomi software.

(10) Option will be provided to the applicant to fetch the "Updated & digitally signed Nakal Jamabandi" from the e-himbhoomi LMK software by entering its unique nakal number.

(11) Preferred address of place of hearing of the court [e.g. The Court of Divisional Commissioners and Financial Commissioner (Appeals)] will be selected by the applicant, where case may be taken up for hearing. These addresses will be taken from the roster as maintained by the department for each court.

(5) The applicant may write the full application/petition in the software, which will convert it into the format accepted in the Revenue courts. Alternatively, the applicant can also upload a pre-written application/petition.

(6) For applications related to land disputes, the applicant must fill in the details of the disputed land but the same will be fetched from the e-himbhoomi portal.

(7) Alternatively the applicant can upload the certified copy of the Jamabandi (till the Nakal Jamabandi portal is not made live) and field map.

(8) Provision will also be made to get the latest copy map from the Bhu-Naksha portal

(9) The applicant must submit the certified copy of the field map at the first hearing as the same will be required during the field inspection.

(10) Applicants/Advocates will also be able to upload any additional document like Power of Attorney, Affidavit, Copy of Mutation and any other document as required in the case specific.

(11) In case of the appeal/review/revision petition the following information/ documents will be uploaded in the portal:—

(i) Name of the lower court

(ii) Case number assigned in the lower court

(iii) Date of impugned order of the lower court

(iv) In case of Appeal/revision, the applicant can add the impugned order details of more than one court.

(v) The applicant will have to upload the certified copy of the orders passed by the lower court.

(vi) Date of supply of the copy of the lower court will have to be mentioned by the applicant in his application.

(vii) In case, the certified copy of the orders of the lower court is generated from the software, the unique receipt number generated for the same will be entered in the software. All the details related to the certified copy will be fetched from the same.

(viii) The limitation period will be calculated from the date of the supply of certified copy to the applicant.

(ix) If the limitation period to file the appeal/revision/review is over, the applicant must upload the application under section 5 of the limitation act or other relevant provision, for allowing limitation. The additional fee as prescribed by the government from time to time will be charged for the same.

5. Payment of application fee.—(1) After completing the application form, the applicant will have to pay the application fee through online mode. The application fee will include all kinds

of fees as notified by the government from time to time. The government will also decide the head of account in which the fee will be deposited.

(2) An application will be submitted for the examination only after the fee is paid by the applicant.

(3) The application fee will include all types of fee which was earlier being collected in the form of adhesive court stamp.

(4) Payment of fees shall be done through the payment gateway given on the online system using UPI or other options as available in the gateway:—

(i) Upon successful payment, an SMS receipt is automatically generated and sent to the applicant.

(ii) Payment through payment gateway is instantly verifiable on the online system

(iii) The confirmation of payment received from the payment gateway and displayed in the application will be considered as successful payment of the court fee.

(5) The fee paid by the applicant will be stored in a single state-level account and subsequently deposited into the designated treasury head of account at the end of each month or within a timeframe specified by the government. This will be done using the fee bifurcation provided by the portal.

6. Examination of application.—(1) The newly filed application will first appear in the login of the reader of the concerned court, who will examine each and every detail of the application and will be able to revert any incorrectly filed application to the applicant alongwith his remarks.

(2) No printout will be taken from the software and the entire process of examination will be done through the online mode only.

(3) The applications can only be processed on working days. Applications filed on holidays will be addressed and examined on the next working day.

(4) In case the application is reverted to the applicant, the same will reflect in their login. Applicants will be able to edit the application, upload any document and resubmit it for the examination.

(5) If all the details provided in the application are found correct, the application will be sent for the taking approval of the Presiding Officer, who can accept, revert or reject the same. Before sending the application for approval of the Presiding Officer, the reader will suggest the date of hearing and the address, where the matter will be proposed to be taken up for hearing as per the request of the applicant, as the case may be.

(6) All such applications verified by the reader will be reflected in the login of the Presiding Officer of the concerned court.

(7) The Presiding Officer will have the option to revert or reject the case, providing their remarks in each instance. In the event of reverting, the case will first appear in the Reader's login and cannot be redirected directly to the applicant.

(8) If the case is rejected, the Presiding Officer must record detailed orders in the remarks section provided for each case.

(9) Upon acceptance of the application, the case will be formally instituted in the court on the same day of approval by the Presiding Officer. A unique case number will then be generated by the portal, applicable statewide, following the acceptance of the case.

(10) Notification regarding the acceptance of an application alongwith the hearing date and hearing address approved by the Presiding Officer, will be shared on the mobile numbers and e-mail addresses of all the parties registered in the case including advocate.

(11) In case of appeal/review/revision, the information about acceptance of the case will also be reflected in the login of the Reader and Presiding Officer of the concerned court whose orders are in question. A separate section alongwith a flag will be provided in each court stating the status of appeal/review/revision petition filed against the cases of that court.

(12) The Reader of the court can, at any time add the parties in the case on receipt of an application from the applicant after the acceptance of the same by the Presiding Officer, through their login.

(13) The Reader of the court will also have the option to enter the witnesses in any case, subject to the approval of the Presiding Officer. The summons can also be issued to the witness through the software.

7. Record Requisition.—(1) After accepting the case and upon the orders of the Presiding Officer, the reader of the court in cases of appeal or revision, will fetch the record from the lower court or its own record consigned to the record room.

(2) If the court file at the lower court level is not scanned and updated on the portal, a notification will be sent to the Presiding Officer of the lower court, instructing them to scan the case file and consign it in the record room.

(3) Upon receiving this notification, the Presiding Officer must scan and upload the file on the portal well before the next date of hearing.

(4) Advocates will also have access to all documents related to the case which have been filed by the parties alongwith the zimni order approved by the Presiding Officer. Presiding officer will have the option to share such records as they deems fit.

(5) If the case has been remanded back by the higher court, the lower court will have the option to edit the party details as per the current situation and assign a new case number as per the latest date of institution. The portal will have the option to link the remand back case with the already decided case against which the appeal/review/revision has been filed, so that all the details about the case will be available at one place.

(6) The presiding officer will have the option to link the similarly situated cases as prescribed under law and will be treated as one case. Among all the linked cases, the case which has the oldest institution date, will be used for the further hearing and day to day work will only be done in that case.

(7) Option be provided at the Presiding officer to restore the case dismissed-in-default, upon receiving the application through online mode. In such cases the number of the original case will continue and the case will be started from the same stage where it was dismissed-in-default.

8. Summoning Process.—(1) All the summons generated for one hearing date, through the portal will be approved by the Presiding Officer using OTP based approval. The OTP will be sent on the mobile number of the Presiding officer.

(2) All the parties must submit their contact details (Including mobile number and e-mail) for the digital delivery of the summons and summons issued through the Revenue court will be delivered digitally to all such parties, having full contact details updated on the software. In cases where the party has not yet appeared before the court or have not provided the contact details or the Presiding Officer is of the view that physical delivery of summons are required, in all such cases the summons will be forwarded for physical delivery of the same.

(3) All the summons in which the physical delivery to the concerned parties are needed, will reflect in the account of Tehsildar/ Naib Tehsildar at Tehsil/ Sub-Tehsil level.

(4) The physical summons will be served in accordance with section 21 of the HP land revenue Act. Printing and service of summons will be the duty of the concerned Tehsildar/Naib Tehsildar where the parties reside.

(5) Information regarding the next date of hearing will be sent to all the parties, who have submitted their e-mail or mobile number to the court.

(6) Upon service, a link will be shared through SMS to the concerned parties, by clicking which the parties will be able to create their account on the online software and get themselves linked with the case.

(7) If the applicant or respondent has hired an advocate, the advocate can link themselves to the case through their account by uploading the Vakalatnama. However, this linkage must be approved by the Presiding Officer of the concerned court.

9. Hearing of case.—(1) The Presiding Officer's dashboard will display a list of all cases scheduled for hearing on the current date. They will have access to all case-related information and will conduct hearings based on the updated information shown in the portal.

(2) The Presiding Officer will be able to note down their remarks in the case but the same will only be visible to the reader of the concerned court.

(3) The Presiding Officer will be able to assign the next date of hearing and the stage for which the case is fixed for.

(4) Presiding Officer will be able to attach any supporting document (ruling of the Hon’ble Supreme/High Court, any act rule of the State/Central Government) to the case. The link of the land code will also be provided in the portal.

(5) The cause list of the case will also be prepared online through the portal using the next date of hearing assigned by the Presiding Officer. After publishing the cause list, it will be available in the public domain.

(6) Information regarding listing of any case will also be sent through SMS or e-mail to the concerned parties/ Advocates directly after the approval of the cause list.

(7) The Presiding Officer/Reader will be able mark attendance of parties during hearings and decide the issuance of notice to any party.

10. Updation of Zimni orders.—(1) A dedicated section for entering Zimni orders will be provided in the software, and this option will be accessible only through the login of the Presiding Officer.

(2) The Presiding Officer can save the Zimni order in draft before finalizing and can edit the same at any time before finalization. The Zimni order once approved can not be altered.

(3) All Zimni orders entered and approved by the Presiding Officer will be published in the public domain, with the name of the Presiding Officer and the Court included in each order.

(4) The Zimni orders will be drafted in the format as prescribed by the Government

(5) These orders will be signed using digital signatures, photo signatures, or OTP-based signing.

(6) Each order issued by the court will be date and time stamped and QR coded on every page, to maintain its unique authenticity. Also the reference of the notification mentioning its legal validity will be provided in each page of the order.

11. Uploading additional documents/application in the case.—(1) Parties will be able to upload additional documents (e.g. vakalatnama, applications for providing correct addresses, applications for details of legal heirs and any other relevant documents) through their login. The additional documents will only be submitted to the Presiding Officer after submitting the court fee as prescribed by the Government from time to time.

(2) If parties are unable to upload the documents online, they may submit them to the court, which will then upload them to the portal.

(3) Notifications regarding the addition of new documents or applications to the case file will be sent to all parties after the hearing.

(4) All documents presented by the parties will be accepted by the Presiding Officer through their ID. The Presiding Officer may directly accept the document and fix the case for filing a reply/rejoinder on the same.

(5) Parties wanting to change advocates will update the new advocate details in the portal with vakalatnama, subject to Presiding Officer's approval.

(6) For applications in which there is an involvement of the field employees (Patwari/Kanungo), the same will be forwarded to their account.

(7) The map uploaded with the case file will not be considered for field verification, the applicant must take a certified copy and submit it to the concerned Patwari/ Kanungo during field verification.

(8) The certified copy will be verified against the original record by Patwari/Kanungo.

(9) The report of the field agency will be uploaded on the software through their account. However, maps prepared during the field visit will be submitted to court and remain in the physical file until the case is decided, after the same will be uploaded on the portal by the reader.

12. Updation of orders.—(1) Orders (Interim/final) related to the case will be drafted on the separate section provided in the login of the Presiding Officer. In case the orders have been written on the word file, the same can be uploaded on the portal by the Presiding Officer.

(2) All the orders drafted on the portal will have to be signed by the Presiding Officer of the concerned court through OTP based verification.

(3) Each order issued by the court will be date and time stamped and QR coded on every page, to maintain its unique authenticity. Also the reference of the notification mentioning its legal validity will be provided in each page of the order.

13. Consignment of the Case file after decision.—(1) Cases after the final order is passed, will be consigned to the online record room.

(2) The reader of the court will be able to reorganize the court file related documents before its consignment. A single PDF will be created, with Zimni orders placed at the front in chronological order, followed by the remaining case related records.

(3) All the documents uploaded in the case will be attached to the consigned file by the software itself.

(4) After approval by the Presiding Officer, the case file will be transferred to the digital record room of the concerned court. Files consigned through the portal will hold the same legal validity as outlined in the "Online Copying Agency Rules, 2024."

By order,

KAMLESH KUMAR PANT,
Financial Commissioner (Revenue).

Office of the Additional District Registrar of Marriages-cum-**Sub-Divisional Magistrate Jhandutta, District Bilaspur (H.P.)**

In the matter of :

1. Ankush Kumar s/o Sh. Gorkh Pal, Village Jaddu, Sub-Tehsil Kalol, Teshil Jhandutta, District Bilaspur, H.P.

2. Neha Kumari d/o Sh. Hem Raj, Village Piungly, P.O. Gharan, Sub-Tehsil Kalol, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur, H.P. . .*Applicants.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Subject.—Application for Registration of Marriage under section 5 of Special Marriage Act, 1954

Ankush Kumar & Neha Kumari applicants have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 that they want to solemnize their marriage according to Hindu Rites and Ceremonies.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-09-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 30-08-2025 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Additional District Registrar of Marriages-cum-SDM,
Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).

Office of the Additional District Registrar of Marriages-cum-**Sub-Divisional Magistrate Jhandutta, District Bilaspur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Dinesh Kumar s/o Sh. Shankar Dass, Village Jungal, P.O. Gangloh, Sub-Tehsil Kalol, District Bilaspur, H.P.

2. Smt. Ravina Kumari d/o Sh. Ranjan Paswan, Village Krishna Nagar, P.O. Kadodara, Tehsil Palsana, District Surat State Gujarat-394327. . .*Applicants.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Subject.—Application for Registration of Marriage under section 5 of Special Marriage Act, 1954

Sh. Dinesh Kumar & Smt. Ravina Kumari applicants have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 that they want to solemnize their marriage according to Hindu Rites and Ceremonies.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-09-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 30-08-2025 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Additional District Registrar of Marriages-cum-SDM,
Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर	किस्म मुकद्दमा	दायर तिथि	आगामी तारीख पेशी / सुनवाई
48 / 2025	इंद्राज जन्म तिथि	19–08–2025	20–09–2025

श्रीमती वीना देवी पुत्री तुलसी राम, निवासी महाल भटेड (मरहाणा), डाकघर लगदेवी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..... प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रत्यार्थी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्रीमती वीना देवी पुत्री तुलसी राम, निवासी महाल भटेड (मरहाणा), डाकघर लगदेवी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के सम्बन्ध में इश्तहार / सूचना / मुश्त्री मुनादी करवाने बारे।

श्रीमती वीना देवी पुत्री तुलसी राम, निवासी महाल भटेड (मरहाणा), डाकघर लगदेवी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) द्वारा आवेदन–पत्र शपथ–पत्र व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों / रिकॉर्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि श्रीमती वीना देवी पुत्री तुलसी राम, निवासी महाल भटेड (मरहाणा), डाकघर लगदेवी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का जन्म दिनांक 02–02–1968 को हुआ है, जोकि अज्ञानतावश सम्बन्धित ग्राम पंचायत सपाहल के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत सपाहल के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया श्रीमती वीना देवी पुत्री तुलसी राम, निवासी महाल भटेड (मरहाणा), डाकघर लगदेवी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 02–02–1968 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत सपाहल के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20–09–2025 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त जन्म तिथि 02–02–1968 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत सपाहल के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 02–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर	किस्म मुकद्दमा	दायर तिथि	आगामी तारीख पेशी / सुनवाई
47 / 2025	इंद्राज जन्म तिथि	02–08–2025	20–09–2025

श्रीमती निम्मो देवी पुत्री शिव राम, निवासी गांव भदरियाणा, डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..... प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रत्यार्थी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्रीमती निम्मो देवी पुत्री शिव राम, निवासी गांव भदरियाणा, डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के सम्बन्ध में इश्तहार / सूचना / मुश्त्री मुनादी करवाने बारे।

श्रीमती निम्मो देवी पुत्री शिव राम, निवासी गांव भदरियाणा, डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) द्वारा आवेदन–पत्र शपथ–पत्र व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों / रिकॉर्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि श्रीमती निम्मो देवी पुत्री शिव राम, निवासी गांव भदरियाणा, डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का जन्म दिनांक 25–06–1974 को हुआ है, जोकि अज्ञानतावश सम्बन्धित ग्राम पंचायत दाडला के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत दाडला के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया श्रीमती निम्मो देवी पुत्री शिव राम, निवासी गांव भदरियाणा, डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 25–06–1974 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत दाडला के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20–09–2025 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त जन्म तिथि 25–06–1974 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत दाडला के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 02–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर	किस्म मुकद्दमा	दायर तिथि	आगामी तारीख पेशी / सुनवाई
46 / 2025	इंद्राज जन्म तिथि	19–08–2025	20–09–2025

श्रीमती विमला कुमारी पुत्री सुख राम, निवासी महाल पनोह, डाकघर चौरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..... प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रत्यार्थी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्रीमती विमला कुमारी पुत्री सुख राम, निवासी महाल पनोह, डाकघर चौरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के सम्बन्ध में इश्तहार / सूचना / मुश्त्री मुनादी करवाने बारे।

श्रीमती विमला कुमारी पुत्री सुख राम, निवासी महाल पनोह, डाकघर चौरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) द्वारा आवेदन–पत्र शपथ–पत्र व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों / रिकॉर्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि श्रीमती विमला कुमारी पुत्री सुख राम, निवासी महाल पनोह, डाकघर चौरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का जन्म दिनांक 18–05–1950 को हुआ है, जोकि अज्ञानतावश सम्बन्धित ग्राम पंचायत पनोह के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत पनोह के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया श्रीमती विमला कुमारी पुत्री सुख राम, निवासी महाल पनोह, डाकघर चौरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 18–05–1950 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत पनोह के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20–09–2025 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त जन्म तिथि 18–05–1950 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत पनोह के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 02–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर	किस्म मुकद्दमा	दायर तिथि	आगामी तारीख पेशी / सुनवाई
45 / 2025	इंद्राज जन्म तिथि	19–08–2025	20–09–2025

श्रीमती कमला देवी पुत्री सुख राम, निवासी महाल पनोह, डाकघर चौरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता प्रत्यार्थी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्रीमती कमला देवी पुत्री सुख राम, निवासी महाल पनोह, डाकघर चौरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के सम्बन्ध में इश्तहार / सूचना / मुश्त्री मुनादी करवाने बारे।

श्रीमती कमला देवी पुत्री सुख राम, निवासी महाल पनोह, डाकघर चौरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) द्वारा आवेदन–पत्र शपथ–पत्र व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों / रिकॉर्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि श्रीमती कमला देवी पुत्री सुख राम, निवासी महाल पनोह, डाकघर चौरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का जन्म दिनांक 01–01–1946 को हुआ है, जोकि अज्ञानतावश सम्बन्धित ग्राम पंचायत पनोह के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत पनोह के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया श्रीमती कमला देवी पुत्री सुख राम, निवासी महाल पनोह, डाकघर चौरी, तहसील सुजानपुर,

जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01–01–1946 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत पनोह के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20–09–2025 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त जन्म तिथि 01–01–1946 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत पनोह के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 02–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर	किस्म मुकद्दमा	दायर तिथि	आगामी तारीख पेशी / सुनवाई
49 / 2025	इंद्राज जन्म तिथि	20–08–2025	20–09–2025

श्रीमती वीना देवी पुत्री जैसी राम, निवासी महाल रंगड, डाकघर रंगड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..... प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रत्यार्थी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्रीमती वीना देवी पुत्री जैसी राम, निवासी महाल रंगड, डाकघर रंगड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के सम्बन्ध में इश्तहार / सूचना / मुश्त्री मुनादी करवाने बारे।

श्रीमती वीना देवी पुत्री जैसी राम, निवासी महाल रंगड, डाकघर रंगड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) द्वारा आवेदन–पत्र शपथ–पत्र व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों / रिकॉर्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि श्रीमती वीना देवी पुत्री जैसी राम, निवासी महाल रंगड, डाकघर रंगड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का जन्म दिनांक 25–05–1962 को हुआ है, जोकि अज्ञानतावश सम्बन्धित ग्राम पंचायत रंगड के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थिया अपना जन्म तिथि की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत रंगड के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया श्रीमती वीना देवी पुत्री जैसी राम, निवासी महाल रंगड, डाकघर रंगड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 25–05–1962 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत रंगड के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20–09–2025 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त जन्म तिथि 25–05–1962 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत रंगड के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 02–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : / 2025

श्री Lobsang Dorjee s/o Late Sh. Aney, r/o Dhasa Nyun-Nes Lhakhang, Divan Manir, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Versus

1. The General Public
2. The Commissioner-*cum*-Registrar Birth and Death, MC Dharamshala,
3. The Registrar Birth & Deaths, C.M.O. Kangra at Dharamshala.

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Lobsang Dorjee s/o Late Sh. Aney, r/o Dhasa Nyun-Nes Lhakhang, Divan Manir, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 18–12–1976 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Lobsang Dorjee s/o Late Sh. Aney के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 18–09–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 01–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : / 2025

श्री Tsedor s/o Namgyal, r/o House No. 1108, Jogiwara Road, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Versus

1. The General Public
2. The Commissioner-*cum*-Registrar Births and Deaths, MC Dharamshala,
3. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala.

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Tsedor s/o Namgyal, r/o House No. 1108, Jogiwara Road, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 15–07–1976 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Tsedor s/o Namgyal के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 18–09–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 01–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

केस नं0 : 28 / एन0टी0 / 2025 तारीख पेशी : 26–09–2025

श्री मसकीन अली पुत्र युसफ अली, निवासी गांव डीनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म तिथि के पंजीकरण हेतु।

इश्तहार / मुश्त्री मुनादी।

श्री मसकीन अली पुत्र युसफ अली, निवासी गांव डीनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसका जन्म दिनांक 07–11–1959 को गांव डीनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 में हुआ है, परन्तु किसी कारणवश जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत महादेव के अभिलेख में दर्ज न हो सका। इसलिए जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जाएं।

यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 26–09–2025 को मुकाम सुन्दरनगर में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुश्त्री / मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को इस जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 26–09–2025 को इस अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा प्रार्थी श्री मसकीन अली पुत्र युसफ अली, निवासी गांव डीनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) की जन्म तिथि 07–11–1959 का जन्म पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत संबन्धित ग्राम पंचायत महादेव के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 02–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 1 / 2025 दिनांक : 22–04–2025

श्रीमती निर्मला कौर पुत्री मीनाराम पुत्र दरिया, ग्राम जौंणी, डाकघर गरावग, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37 व 38 के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थिया श्रीमती निर्मला कौर पुत्री मीनाराम पुत्र दरिया, ग्राम जौंणी, डाकघर गरावग, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी, नकल परिवार, ग्राम पंचायत गरावग, जौणी, स्कूल प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड प्रति, नकल जमाबन्दी महाल जौंणी व महाल पड़शोली, ब्यान हल्फी, GPA यशवन्त पुत्र मीनाराम फोटोप्रति, पहचान पत्र सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किये हैं। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि आवेदिका का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त गरावग के महाल जौंणी में सीमादेवी व महाल जंगल मैंह–मैंह नागटीर में शोभा देवी दर्ज हो गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है। जिसे प्रार्थिया अब दुरुस्त करवाना चाहती है। प्रार्थिया का नाम मुताबिक ब्यान हल्फी राजस्व अभिलेख महाल जौंणी व महाल जंगल मैंह–मैंह नागटीर व ग्राम पंचायत गरावग, जौंणी में सीमा देवी व शोभा देवी की जगह निर्मिला कौर करवाना चाहती है।

इसके अतिरिक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु पटवारी हल्का गरावग व पड़शाल बराये छानबीन मय रिपोर्ट बारे भेजा गया। मुताबिक रिपोर्ट राजस्व माल कागजात स्पष्ट किया गया कि प्रार्थिया का नाम महाल जौंणी में सीमादेवी दर्ज है तथा महाल जंगल मैंह–मैंह नागटीर में शोभा देवी दर्ज है। जिसे दुरुस्त करने बारे पटवारी हल्का द्वारा भी सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी भी व्यक्ति का कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 20–09–2025 या इससे पूर्व अदालत हजा स्थित कोटखाई में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवा सकते हैं। अन्यथा उजर / एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख व ग्राम पंचायत रिकार्ड में करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)।

———————

In the Court of Tehsildar-cum-**Executive Magistrate Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh**

Neelam Kumari d/o Sh. Het Ram, r/o Village Chilled, P.O. Manlogkala, Tehsil Ramshehr, District Solan, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Neelam Kumari d/o Sh. Het Ram, r/o Village Chilled, P.O. Manlogkala, Tehsil Ramshehr, District Solan, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of death of her grandfather namely PRITAM (DOB 06-05-2024) at Near IGMC Hospital (while taking him to Hospital), District Shimla, H.P.

Therefore, through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 2nd September, 2025.

Seal. Sd/-
Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

———————

In the Court of Assistant Collector Grade-II, Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan (H.P.)

Case No. : 26/ 2025 Date of Instt. : 28-08-2025 Date of Decision : 03-10-2025

Sh. Tara Chand s/o Sh. Ram Dass, r/o VPO Masulkhana, Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan, H.P.

Versus

General Public through Gram Panchayat Jangeshu, Sub-Tehsil Parwanoo, Distt. Solan, H.P.

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Sh. Tara Chand s/o Sh. Ram Dass, r/o VPO Masulkhana, Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan, H.P. has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 and section 9(3) of Birth & Death Registraton Rule, 2003 stating therein that his birth could not registered in the Death & Birth records of Gram Panchayat Jangeshu, within stipulated period. His date of birth is 10-03-1974 and place of Birth is VPO Masulkhana, Sub-Tehsil Parwanoo. He prayed for passing necessary orders to the Secretary-*cum*-Registrar Birth & Death, GP Jangeshu, Sub-Tehsil Parwanoo, for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having objection regarding entering the birth of Sh. Tara Chand s/o Sh. Ram Dass may file their objections in this court on or before 02-10-2025, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 2nd day of September, 2025.

Seal. Sd/-

Assistant Collector 2nd Grade,
Sub-Tehsil Parwanoo, District Solan (H. P.).

Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H. P.)

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
34/2025	22-08-2025	21-09-2025

Sh. Jagdish Chand s/o Sh. Ghamira Ram, r/o Village Padiar, P.O. Mangal, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh . . *Applicant*.

Versus

General Public . . *Respondent.*

Regarding delayed registration of death event under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Sh. Jagdish Chand s/o Sh. Ghamira Ram, r/o Village Padiar, P.O. Mangal, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his Grand Mother Late Smt. Dawarku Devi w/o Sh. Jindu Ram was expired on 10-11-1991 at Village Padiar, but her death has not been entered in the records of Gram Panchayat Mangal, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the Non-Availability Certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Mangal, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection for registration of delayed death in respect of Late Smt. Dawarku Devi may submit their objections in writing in this office on or before 21-09-2025 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 22nd day of August, 2025.

Seal.

Sd/-
(NISHANT TOMAR, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Arki, District Solan (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या : 06 / 2025 संस्थापन तिथि : 02–09–2025 अगली तिथि : 03–10–2025

श्री तोता राम पुत्र स्व0 खिन्दु राम, निवासी बारा चाकली, डाकघर टिक्करी कठाड, तहसील पच्छाद, जिला सोलन, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

इश्तहार बाबत राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्त करवाने बारे।

यह आवेदन–पत्र श्री तोता राम पुत्र स्व0 खिंदु राम, निवासी बारा चाकली, डाकघर टिक्करी कठाड, तहसील पच्छाद, जिला सोलन, हि0प्र0 द्वारा पेश किया गया है जिसमें खाता नं0 39 व 40 में प्रार्थी के पिता का नाम माठू पुत्र सन्तु दर्ज राजस्व अभिलेख है, जबकि उसका सही नाम खिंदु राम है। प्रार्थी के पिता का नाम खिंदु राम होने बारे आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, शपथ–पत्र इत्यादि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए हैं। आवेदन–पत्र बराये छानबीन पटवार हल्का बडोग को भेजा गया था जो बाद रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। पटवारी द्वारा बाद छानबीन स्पष्ट किया है कि प्रार्थी के पिता का नाम माठू के बजाये माठू उर्फ खिंदु राम पुत्र सन्तु किया जाना उचित है।

अतः इस बाबत आम जनता / हितबद्ध व्यक्तियों को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम को माठू के बजाये माठू उर्फ खिंदु राम पुत्र सन्तु करने बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह इस नोटिस के छपने के एक माह के अन्दर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार का एतराज काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख में माठू के बजाये माठू उर्फ खिंदु राम पुत्र सन्तु दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 02–09–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील परवाणू, जिला सोलन (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या : 07 / 2025 संस्थापन तिथि : 02–09–2025 अगली तिथि : 03–10–2025

श्री चैन सिंह पुत्र चैत राम, निवासी पनेवा, डाकघर नयाग्राम, उप–तहसील परवाणू, जिला सोलन, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

इश्तहार बाबत राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्त करवाने बारे।

यह आवेदन–पत्र श्री चैन सिंह पुत्र चैत राम, निवासी पनेवा, डाकघर नयाग्राम, उप–तहसील परवाणू, जिला सोलन, हि0प्र0 द्वारा पेश किया गया है जिसमें जमाबन्दी वर्ष 2020–21 खाता नम्बर 10 ता 13, मौजा पनेवा में प्रार्थी का नाम चमन लाल व प्रार्थी के पिता का नाम चैतू दर्ज राजस्व अभिलेख है जबकि उसका सही नाम चैन सिंह व उसके पिता का नाम चेत राम है। प्रार्थी चैन सिंह व उसके पिता का नाम चेत राम होने बारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, शपथ–पत्र इत्यादि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए हैं। आवेदन–पत्र बराये छानबीन पटवार हल्का नाली धारठी को भेजा गया था जो बाद रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। पटवारी द्वारा बाद छानबीन स्पष्ट किया है कि प्रार्थी का नाम चमन लाल व प्रार्थी के पिता का नाम चैतू के बजाये चैन सिंह व उसे पिता का नाम चेत राम किया जाना उचित है।

अतः इस बाबत आम जनता / हितबद्ध व्यक्तियों को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम चमन लाल व चैतू के बजाये चैन सिंह उपनाम चमन लाल पुत्र चेत राम उपनाम चैतू पुत्र थेबू करने बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह इस नोटिस के छपने के एक माह के अन्दर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार का एतराज काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम चैन सिंह उपनाम चमन लाल पुत्र चेत राम उपनाम चेतू व चेत राम उपनाम चैतू पुत्र थेबू राजस्व अभिलेख में करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 02–09–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील परवाणू, जिला सोलन (हि0प्र0)।

———————

In the Court of Executive Magistrate Ghanari, Tehsil Ghanari, District Una, Himachal Pradesh

In the matter of :

Sandeep Mahiwal s/o Sh. Ram Kumar, r/o Village Panchkula, District Panchkula, (Haryana) . .*Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Sandeep Mahiwal s/o Sh. Ram Kumar, r/o Village Panchkula, District Panchkula, (Haryana) has preferred an application before undersigned to add his surname in his daughter's, Anvi Matriculation Certificate, who has passed the said examination from D.A.V. Public School Ambota, Distt. Una (H.P.).

Therefore, through this proclamation the General Public is hereby informed that if any person having any objection of the above said matter, that is to add his surname in his daughter's Matriculation Certificate, may file written objection in the Court of undersigned, within 30 (Thirty days) from the date of Publication of this notice in official Gazette. In case, if no objection is received within the prescribed period, the application will be decided accordingly.

Given under my hand seal of the court on this 30-08-2025.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Tehsil Ghanari, District Una,
Himachal Pradesh.

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	तारीख मरजुआ :	उप–तहसील :	जिला
77 / 2025	11–08–2025	सरस्वतीनगर	शिमला

श्री प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री इन्दर सिंह, निवासी गांव रोहटान, डा0 मान्दल, उप–तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता

दरख्वास्त नाम दुरुस्ती सेहत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड वाका चक चतनोल, पटवार वृत्त मान्दल में सही दर्ज कराने बारे।

यह दरख्वास्त श्री प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री इन्दर सिंह, निवासी गांव रोहटान, डा0 मान्दल, उप–तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में शपथ–पत्र सहित स्वयं प्रस्तुत होकर निवेदन किया है कि प्रार्थी की वाका चक चतनोल, पटवार वृत्त मान्दल में मलकियत आराजी है जिसमें प्रार्थी का नाम मिथुन है, जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी ने पुष्टि हेतु परिवार नकल, आधार कार्ड ,मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, दसवीं व बारहवीं तथा शपथ–पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की गई है जिसमें वादी का नाम प्रदीप कुमार सही होना पाया गया है। वादी अपना नाम उपरोक्त वाका चक चतनोल के माल कागजात में मिथुन के स्थान पर प्रदीप कुमार दुरुस्त / दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त वादी का नाम वाका चक चतनोल, पटवार वृत्त मान्दल, उप–तहसील सरस्वतीनगर के माल कागजात में मिथुन के स्थान पर प्रदीप कुमार दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14–09–2025 को दोपहर 2.00

बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 15–08–2025 को हमारे हस्ताक्षर एवम् मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Prakam s/o Late Sh. Roshan Lal, r/o V.P.O. Biara, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.)-176103 declare that I have changed my name from Om Parkash to Prakam Chand. Om Parkash and Prakam Chand is the same and one person. All concerned be noted.

PRAKAM
s/o Late Sh. Roshan Lal,
r/o V.P.O. Biara,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shitila Kumari d/o Mr. Rajeshwar Singh, r/o Kungal (63/1), Tehsil & District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Sheetal to Shitila Kumari. All concerned please may note.

SHITILA KUMARI
d/o Mr. Rajeshwar Singh,
r/o Kungal (63/1), Tehsil & District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jamna Devi w/o Sh. Nathu Ram, r/o Village Koron, P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan (H.P.) have changed my name from Jamna Devi to Jamuna Devi. All concerned please may note.

JAMNA DEVI
w/o Sh. Nathu Ram,
r/o Village Koron,
P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Medhira Kaushal w/o Sh. Biplav Singh, r/o Village Tipper, P.O. Tipper (Upperta) 29/3, Tehsil Barsar, District Hamipur (H.P.)-174312 declare that I have changed my name from Medhira Kaushal to Medhira Kaushal Singh in all documents. All concerned please may note.

MEDHIRA KAUSHAL
w/o Sh. Biplav Singh,
r/o Village Tipper, P.O. Tipper (Upperta) 29/3,
Tehsil Barsar, District Hamipur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Arvind Kumar s/o Sh. Kishori Lal, r/o Village Brahmani, P.O., Tehsil & District Hamipur (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 2093 5254 7216 my name is wrongly entered as Arbind Kumar which should be corrected as Arvind Kumar. Please correct this.

ARVIND KUMAR
s/o Sh. Kishori Lal,
r/o Village Brahmani,
P.O., Tehsil & District Hamipur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vanshay s/o Sh. Sanjeev Sharma, r/o Village Chhamla, P.O. Navgaon, Tehsil Arki (229), District Solan v(H.P.)-171102 have changed my name from Vanshay to Vanshai Sharma. Concerned please may note for further.

VANSHAY
s/o Sh. Sanjeev Sharma,
r/o Village Chhamla, P.O. Navgaon,
Tehsil Arki (229), District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shukaid w/o Sh. Sher Singh, r/o Village Sanog (852), P.O. Kabakalan, Tehsil & District Solan (H.P.)-173229 have changed my name from Shukaid to Sukh Devi. Concerned please may note for further.

SHUKAID
w/o Sh. Sher Singh,
r/o Village Sanog (852), P.O. Kabakalan,
Tehsil & District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rajender s/o Sh. Khenta Ram, r/o Village Chhog Tali (96), Sirmaur (H.P.)-173101 has declare that I have changed my name from Rajender to Rajender Singh. Concerned please may note for further.

RAJENDER
s/o Sh. Khenta Ram,
r/o Village Chhog Tali (96), Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Palka Devi w/o Sh. Pyare Lal, r/o 25 Dhar, Village Dasheya, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) have changed my name from Palka Devi to Shanti. Concerned please may note for further.

PALKA DEVI
w/o Sh. Pyare Lal,
r/o 25 Dhar, Village Dasheya,
Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sushma Pathania w/o Late Sh. Sunil Kumar, r/o Village Kangru, P.O. Bohni, Sub-Tehsil Lamloo, District Hamirpur (H.P.) hereby declare that in my daughter's educational documents her name has been wrongly entered as Mrinmayi, which should be correctly read as Mrinmayi Singh Pathania. I fruther declare that in her educational documents, her father's and mother's names have been incorrectly recorded as Sunil and Sushma respectively. The correct names should be read as father's name Sunil Kumar, mother's name Sushma Pathania. All concerned please may note.

SUSHMA PATHANIA
w/o Late Sh. Sunil Kumar,
r/o Village Kangru, P.O. Bohni,
Sub-Tehsil Lamloo, District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shakuntla Devi w/o Sh. Leela Dutt, r/o Village Dalimu, P.O. Nehra, Tehsil & District Shimla (H.P.) do hereby declare that my name is spelt wrongly as Shankuntla instead of Shakuntla Devi in my Aadhar Card. It may be corrected. All concerned please note.

SHAKUNTLA DEVI
w/o Sh. Leela Dutt,
r/o Village Dalimu, P.O. Nehra,
Tehsil & District Shimla (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।